फाइनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवम् सहायक कलक्टर [illegible] व पीठासीन अधिकारी [illegible]

उनवान

निजेन्द्र सिंह पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील - टोडाभीम जिला - करौली

बनाम

[illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील - टोडाभीम जिला करौली

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 112/16

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल आखरी पेश होकर हाजिर

श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट [illegible] व [illegible]

[illegible] मुकदमा पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व डिक्री दी जाती है कि

दावा वादी [illegible] प्रतिवादीगण को [illegible] किया जाता है कि [illegible] मुश्किल [illegible] ग्राम [illegible] तहसील टोडाभीम [illegible] में [illegible] नहीं करे।

वादी को बेदखल नहीं करे ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे [illegible] पर [illegible] प्रभावी है।

[illegible] मुकदमे के [illegible] वगैरह [illegible] इस मुकदमे के [illegible]

[illegible] तारीख से तारीख अदायगी तक [illegible] का अदा करो।

[illegible] दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 05 सन् 2017 को जारी की गई।

दस्तखत [illegible]

ओहदा

मुहर

खर्चा	रुपया	पैसे	मुद्दआलेह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			[illegible]		
स्टाम्प [illegible]			[illegible]		
[illegible]			[illegible]		
[illegible]			[illegible]		
[illegible]			[illegible]		
[illegible]			[illegible]		
[illegible]			[illegible]		
मीजान			मीजान		

नोट: ग्राम [illegible] के [illegible] पर [illegible]

नोट : इस खर्चे [illegible]

[illegible] शर्मा
[illegible]
टोडाभीम

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपजिला कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं. – 113/16

संस्थित तारीख – 05.10.2016

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य आर.ए.एस.

[illegible]

विजय सिंह पुत्र प्रभू, जाति गुर्जर, निवासी निमूरा तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0।

बनाम

विश्राम पुत्र नगामराम, जाति गुर्जर, निवासी निमूरा तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0।

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित – 1 वादी की ओर से – सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट

2 प्रतिवादीगण की ओर से – कोई उपस्थित नहीं

निर्णय दिनांक– 03.05.2017

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा 100/1211 रकबा 0.07हे0 गैरमुमकिन रास्ता स्थित ग्राम निमूरा तह0 टोडाभीम जिला करौली में स्थित है। उक्त आराजी वादी ने वादी खतौनी 23/6 का खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्से के अन्य भी खातेदारी व उनके चालान की आवाजाही है। उक्त आराजी से प्रतिवादीगण या अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का नहीं है। प्रतिवादीगण जबरन, गुण्डे, शिकायत एवं [illegible] व पैसे वाले व्यक्ति है। जिन्होंने एक [illegible] कर रखा है तथा [illegible] का [illegible] आराजी से [illegible] कर सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा करना चाहते है। बाद दिनांक 30.09.2016 को सुबह करीब 9 बजे का है कि वादी अपनी आराजी की देखभाल कर रहा था कि प्रतिवादीगण एक [illegible]

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

ट्रोली लेकर आये तथा ट्रोली से पत्थर डालने लगे वादी द्वारा उन्हे समझाया कि तुम ऐसा क्यो कर रहे हो। इस आराजी से तुम्हारा कोई संबंध नही है। फिर भी इसमें क्यो पत्थर डाल रहे हो। इतना सुनते ही प्रतिवादीगण नाराज हो गये तथा कहने लगे कि उक्त आराजी हमारे कब्जे मे है। तुम्हे कुछ चाहिए तो ले लो, नही तो हम इसमें निर्माण करके रहेंगे। जिस पर वादी द्वारा गणमान्य व्यक्तियो को एकत्रित कर प्रतिवादीगण को समझाने का प्रयास किया। मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नही है। तथा आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करने पर आमादा है। इस प्रकार प्रतिवादीगण अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्टा मे कामयाब हो गये तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति हो जावेगी। इसलिये प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी बावजूद तामील अदालत मे उपस्थित नही हुआ, इसलिये उसके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही की गई। वादी को सुना गया, वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये, प्रतिवादी को पाबन्द फरमाने का निवेदन किया, मैने वकील अधिवक्ता की बहस तथा पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज का अवलोकन किया, ख0नं0 100/1211 रकबा 0.07हे0 गैरमुमकिन रास्ता वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। जिससे किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध किसी भी प्रकार का नही है। इसलिये वादी का दावा डिक्री होने योग्य प्रतीत होता है।

अतः आदेश दिया जाकर प्रतिवादीगण को इस प्रकार पाबन्द

जाता है कि आराजी ख0नं0 100/1211 रकबा 0.07हे0 गैरमुमकिन रास्ता स्थित ग्राम निमूडा तह तोडाभीम वादी के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे, वादी को बेदखल नही करे, ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे और ना ही किसी

जिला कलक्टर
[illegible] (कोर्ट)

अन्य से करावे, जिससे हकूक वादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2016 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपजिला कलक्टर, टोडाभीम

उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

नोट । ग्राम निसूरा के स्थान पर ग्राम सहजनपुर पढ़ा जावे।

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

Scanned by CamScanner